

27.1.25

4082

पत्रावली आज वाडी/ वाडी वकील के निवेदन पर  
पेश हुमी। उक्त पत्र में मूल साका नोट-उक्त  
में खारिज बिभा जा चुका है इसलिये प्रो. पत्र  
शर RTA का कोई औचित्य नहीं रहता है अतः  
प्रो. पत्र शर RTA को नोट-उक्त में खारिज  
बिभा जाता है पत्रावली फेशन गुमार होकर  
साखिल स्तर है।

उप खण्ड अधिकारी  
रामगढ (अलवर)